

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

संख्या-बा०प्र०सु०संके०-50/2016- 715

पटना/दिनांक- 18-09-2019

विभागीय आदेश संख्या बा०प्र०सु०संके०-50/2016-63 दिनांक 16.01.2019 के क्रम संख्या 3 पर श्री पीयूष कुमार के सम्मुख स्तम्भ 5 में अंकित मासिक पारिश्रमिक “रुपये 35,000/- (रु० पैंतीस हजार मात्र)” को बढ़ाकर “रुपये 45,000/- (रु० पैतालीस हजार मात्र)” किया जाता है ।

2. यह वर्धित मासिक पारिश्रमिक इस पत्र की निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।
3. उक्त विभागीय आदेश की शेष सभी प्रविष्टियाँ यथावत् रहेगी ।
4. इस पर सक्षम अधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

Kumar
18/09/19
(राकेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञाप संख्या-बा०प्र०सु०संके०-50/2016- 715

पटना/दिनांक- 18-09-2019

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Kumar
18/09/19
(राकेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञाप संख्या-बा०प्र०सु०संके०-50/2016- 715

पटना/दिनांक- 18-09-2019

प्रतिलिपि-ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में सी०डी० सहित बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, मुलजतरबाग, पटना-7 को भेजने हेतु प्रेषित ।

Kumar
18/09/19
(राकेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञाप संख्या-बा०प्र०सु०संके०-50/2016- 715

पटना/दिनांक- 18-09-2019

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Kumar
18/09/19
(राकेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०)

ज्ञाप संख्या-बा०प्र०सु०संके०-50/2016- 715

पटना/दिनांक- 18-09-2019

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग/सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग/ सभी उप सचिव (प्रबंधन सहित), जल संसाधन विभाग/आई०टी० मैनेजर, जल संसाधन विभाग /प्रशाखा पदाधिकारी-5,7 एवं 22/श्री पीयूष कुमार, कनीय भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ, गणितीय प्रतिमान केन्द्र, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Kumar
18/09/19
(राकेश कुमार)

संयुक्त सचिव (प्र०)